

## भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अथवा  
अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए

14- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत  
राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

*Recommended for Approval.*

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप  
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट  
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर

नाम-

वाई०एस०के० शेषकमार  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980  
उ० प्र०, लखनऊ।

सरकारी मोहर-

30-5-2017

दिनांक-

स्थान-

## भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो  
अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो भरा जाना है)

15- राज्य सरकार की सिफारिश।

(उपर्यक्त भाग-ख या भाग -ग या भाग -घ

में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की  
गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर-

दिनांक-

स्थान-